

21.4.2026

2026/237

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
विक्रम पंवार बनाम मानाराम

मुकदमा क्रि.सं अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 46 वर्ष 2026

27.4.2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
23.03.2026	<p>प्रार्थी विक्रम पंवार की तरफ से वकील श्री सन्तलाल बिजारणिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 9 केडब्ल्यूडी के खाता सं. 81/71 के प.नं. 151/406(15) कि.नं. 16, 25, प.नं. 151/407(22) कि.नं. 5, 6, प.नं. 152/406(16) कि.नं. 18 ता 23, प.नं. 152/407(21) कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 10 की 4.048 है. में से 1/22 हिस्सा भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 23.04.2026 को पेश हो।</p>	
23.4.2026	<p>सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>मुकदमा क्रि.सं अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट, माह 4/2026</p> <p>वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुनाया गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 9 केडब्ल्यूडी के खाता सं. 81/71 के प.नं. 151/406(15) कि.नं. 16, 25, प.नं. 151/407(22) कि.नं. 5, 6, प.नं. 152/406(16) कि.नं. 18 ता 23, प.नं. 152/407(21) कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 10 की 4.048 है. में से 1/22 हिस्सा भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 23.04.2026 को पेश हो।</p>	
24.4.2026	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मिलावट पेश करने पर न्यायालय के पेशी में लिखा गइल वकील प्रार्थी ने निषेधन क्रिया वि प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहे डी माँजूदा क्रिया वि में वाजीब करवाना चाहे डी अर प्रार्थना पत्र माँजूदा क्रिया वि में वाजीब क्रिया जाला डी प्रार्थनी नाबर से अर की अउर का लगी व वकील आजा दाखिल हुकम हो</p>	



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर